**श्री हरेकृष्णा महताब मेमोरियल लेक्चर**

## सुशासन में सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही की भूमिका

**1.** मैं उत्कल केसरी के रूप में प्रसिद्ध डा. हरेकृष्ण मेहताब की स्मृति में यह वार्षिक व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किए जाने पर अत्यंत सम्मानित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। डा. मेहताब पुराने स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने 22 वर्ष की अल्पायु में राष्ट्रीय आजादी आंदोलन को आगे बढ़ाया और नमक सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। डा. मेहताब को कई बार सजा हुई और उन्होंने कई बार बलिदानी दी, लेकिन उनका हौसला नहीं डिगा। उन्होंने ब्रिटिश राज के विरूद्ध संघर्ष जारी रखा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता बन गए। वे सचमुच एक सच्चे योद्धा थे।

डा. मेहताब ने 1934 में हरिजन आंदोलन में भाग लिया। एक मानवतावादी और सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने स्वयं को अग्रणी बनाते हुए दूसरों के सामने एक उदाहरण स्थापित किया। उन्होंने उड़ीसा में पहली बार अपना पैतृक मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिया। समानता और मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी।

डा. मेहताब 1950 में केंद्रीय मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग बनने से पूर्व 1946 में उड़ीसा के प्रमुख बने। उन्हें 1955-56 से अविभाजित बॉम्बे का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वे 1956-61 से उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनने के लिए वापस आए। 1962 में वे लोकसभा में चुने गए और वे कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता भी थे। वे 1967, 1971 और 1974 में उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए। डा. मेहताब आधुनिक उड़ीसा के वास्तुकारों में से एक थे और एक उत्कृष्ट राजनेता थे। वे धरती के सच्चे सपूत थे, उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके तथा

औद्योगिक इकाईयां स्थापित करके लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने हीराकुण्ड बांध के निर्माण, भुवनेश्वर को नई राजधानी बनाने और उड़ीसा के नए राज्य के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया।

डा. मेहताब एक बहुमुखी व्यक्तित्व थे और उन्होंने साक्षरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे प्रजातंत्र प्रचार समिति के प्रणेता थे और 1923 में बालासोर से साप्ताहिक पत्रिका प्रजातंत्र शुरू किया। वे ''झंकार'', एक उड़िया मासिक के मुख्य संपादक थे और बाल पत्रिका 'मीना बाजार' के संरक्षक थे। उन्हें अपनी पुस्तक ''गांव मजलिस'' के लिए 1983 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। डा. मेहताब एक सच्चे प्रबुद्ध थे और उनके अविस्मरणीय कार्य ने उन्हें उड़ीसा में अमर बना दिया और लोगों को उनसे लगातार प्रेरणा मिलेगी।

यह सचमुच मेरा सौभाग्य है कि मुझे उड़ीसा के ऐसे आदरणीय एवं प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की स्मृति में यह स्मारक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है।

**2.** मुझे ''सुशासन में सत्यनिष्ठा और जवाबदेही की भूमिका'' विषय प्रदान किया गया है। यह एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। समस्त राष्ट्र इन मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। मेरा इस विषय को तीन भागों में स्पष्ट करने का प्रस्ताव है:

सबसे पहले हम इन कारकों के ऐतिहासिक पहलुओं और इसके कारकों की पृष्ठभूमि तथा वर्तमान में सुशासन भारत के लिए क्यों इतना जटिल हो गया है, पर चर्चा करेंगे।

उसके बाद हम स्थिति का पता लगाने और उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि यह वर्तमान में कैसे आया और सार्वजनिक जीवन, आर्थिक विकास और एक स्थापित प्रजातंत्र को

कैसे प्रभावित करता है। तीसरे बिन्दु पर हम आपके समक्ष कुछ सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि हमें और आपको कैसे इस राष्ट्र के आगामी वर्षों में अंतर पैदा करने की आवश्यकता है।

**<u>पृष्ठभूमि</u>**

**3.** वर्तमान भारत की हजारों वर्ष पहले की शुरूआत बहुत ही रोचक एवं प्रेरणादायी थी। इसने देश और विश्व के भीतर धैर्य प्रदान करने में सहायता की जिससे जीवंत भारतीय लोकतंत्र दोहरी संख्या के निकट वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम हुआ। हमने विकास के एजेंडे के खुलासे के बाद की गई कार्रवाई में सम्मिलित, 1991 के विकास से पूर्व की चिंताजनक स्थिति पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया और वास्तव में इस संघर्षपूर्ण स्थिति में खड़े रहे जिसमें तथाकथित एशियाई शेर लगभग ढह गए। यहां तक कि देश वित्तीय संकट के शुरूआती सेटबैक में भी बना रहा जो यूएसए से शुरू होने वाली टॉक्सिक एसेट्स से शुरू हुआ था। चूँकि व्यावहारिक रूप से सभी प्रमुख विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थायें अब व्यापार एवं वित्तीय संस्थाओं के संचालन के माध्यम से विश्व भर में फैली हैं, उसके बाद के आर्थिक प्रभावों ने भारत के लिए समस्यायें पैदा कर दी।

महत्वपूर्ण रूप से इस सहसत्राब्दि के पहले दशक का बाद वाला भाग जिसने कई विकसित देशों के नागरिकों के बीच अशांति पैदा की थी, इसने भारत में सिविल सोसायटी में भी बहुत गंभीर मंथन करा दिया। यद्यपि देश में सिविल सोसायटी में प्रमुख तत्वों द्वारा परिलक्षित अशांति एवं अधैर्य में कई कारण शामिल थे जिससे सार्वजनिक अशांति का आवेग युवा लड़के और लड़कियों द्वारा गलियों-कूचों में स्वाभाविक रूप से उद्वेलित होकर प्रशासन के सामने चुनौतीपूर्ण मुद्रा में

खड़ा हो गया है। यह बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना रहा है कि वह तरीका जिसमें प्रशासन ने स्थिति का सामना किया, उसने प्रणाली की खामियों और लोक भावनाओं के प्रति इसकी असहनशीलता को उजागर कर दिया।

**4.** 2012 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस वर्ष के रूप में परिभाषित करते हुए जाना जाएगा: एक वर्ष जिसमें नागरिक शांति बहुलता के मिथक को तोड़ते हुए केंद्रीय स्तर पर आगे आए। यह निश्चित रूप से भारतीय लोकतांत्रिक शक्तियों की परिपक्वता का लक्षण है। राजनीति वर्ग एवं प्रशासन ने इस कारक को कितना महसूस किया है, इस चीज को जानने के लिए कितना इच्छुक होंगे, इस पर पूर्वानुमान लगाना जल्दबाजी होगी। यह स्पष्ट है कि नागरिक एक वार्तालाप चाहते हैं- एक वार्तालाप जिसमें वे शासन में भाग ले सकें और सरकार को उत्तरदायी बनाने हेतु सचेत कर सकें। यह सचमुच में पुराना क्रम परिवर्तन है जिसमें नए स्थान का जन्म हुआ है। एक नए प्रबुद्ध और अत्यधिक अपेक्षित नागरिक वर्ग का युग आ चुका है।

सरकार को जवाबदेही के लिए बोलने वाले और नीति निर्माण में पारदर्शिता की मांग करने वाले नागरिकों उभरती हुई आवाज है जिसे शांत बहुसंख्यक माना गया था। यह आवाज अब नए नैतिक और नीतिपरक ढाँचे के विकास की मांग कर रही है और जो भविष्य में नागरिक वर्ग और इसके चयनित प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

**5.** शहरी भारतीय मध्यय वर्ग अपने आपको राजनीतिक रूप से लामबंद करने का एक महत्वपूर्ण द्योतक है। इस लामबंदी में एक दृढ़ निश्चय भी प्रतीत होता है। यह लामबंदी सफेदपोश की परम्परागत बुद्धिमत्ता को असली रूप दिखा रहा है, शहरी नागरिक उनके कारणों के अनुसरण का मार्ग अपनाने को इच्छुक नहीं है। लोगों के इस वर्ग ने अपने आपको

चाहरदीवारी विचार-विमर्श, टीवी परिचर्चा और शायद कॉलेज राजनीति तक सीमित कर लिया था। वह वोट न डालने में गर्व करते हैं, जाति और क्षेत्रीय राजनीति को तिरस्कृत करते हैं और इसलिए राजनीतिक दलों द्वारा कभी इनकी मांग नहीं की जाती। किन्तु यह पृथक समूह संयुक्त हो रहा है। यह किसी कारण से एकजुट हो रहा है। यह अपनी ताकत महसूस करने लगा है। उन्हें किसने हिला दिया है?

शायद, प्रत्येक सरकारी कार्यालय, एक जन्म प्रमाण पत्र, एक ड्राइवर लाइसेंस, एक अस्पताल का बैड, एक गैस कनेक्शन में भ्रष्टाचार।

शायद यह जेसिका लाल, डीजीपी राठौर या मनु शर्मा है। शायद, यह अहसास कि वह बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी, बिजली और सुरक्षा के इनकार को और बर्दाशत नही कर सकते।

शायद यह राज्य मंत्री की एक टीवी क्लिप है जो अपने अधिकारियों को बता रहा है कि थोडा चोरी करना सही है किन्तु लूट नही मचानी चाहिए।

निश्चित रूप से आखिरी बार मानव बर्बरता का सबसे खराब खुलासा नई दिल्ली में दिसम्बर 16 की रात को था।

ऐसे आन्दोलन के सभी संकेत इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि इससे बचने की कामना नहीं की जा सकती। यह बहुत कम समय में प्रसिद्धि पाना नही है और इसमें दीर्धावधि तथ्य के सभी अवयव हैं।

**<u>निदान</u>**

**6.** मैं यह समझने के लिए इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि हमें आज परिहश्य के क्लीनिकल, निष्पक्ष, प्रभावशाली विश्लेषण करने की आवश्यकता है। मैं यह कह रहा हूं क्योंकि, जैसे जैसे भारतीय लोकतंत्र की आयु हो रही है भारत युवा हो रहा है अर्थात् इसकी जनसंख्या की मध्य आयु अभी भी 25 होगी जो संयुक्त राज्य अमरीका से 15 वर्ष कम है। यह युवा जनसंख्या बड़ कर एक प्लैट वर्ल्ड बन गई है। एक ऐसी दुनिया, जिसमें भारत पूरी तरह से अनुभवी है। वह एक अगली पीढ़ी है जो राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्रों में जुडीं है। वह सभी गौरव से लोकतांत्रिक संस्थानों के संबंध में विकसित हुई हैं कि जीवत लोकतंत्र जो हम अभ्यास करते हैं ने दोहरे अकं की वृद्धि प्रदान की है। वह राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा दिए गए बयानों को पढते और सुनते हैं कि लोकतंत्र में जबावदेहिता शामिल है और जवाबदेहिता पारदर्शिता से ही आ सकती है। यह एक ऐसी जागरूकता है जो सूचित और युवा मांग है जो सरकार को उनके सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। यह शहरी मध्यवर्गीय श्रेणी का वह व्यापक प्रतिनिधि है जो जाग चुका प्रतीत होता है और इस देश के निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका देखता है।

**7.** आप सभी सराहना करेंगे कि शहरी शिक्षित मध्यम वर्ग में मंथन ने प्रशासन को हैरत में डाल दिया। वह न तो तैयार न उन्हें ऐसी जागरूकता की आदत थी। वह भीड के एकत्रित होने का अनुमान नहीं लगा सकते। वह केवल राजनितिक रैलियों में खरीदी हुई भीड के आदी है। इस वर्ग के लिए यह अल्प सम्मान, जो की हमेशा ही दर्शाया गया है, अब लोगों की नब्ज पढ़ने में गलत साबित हो रहा है और इसलिए गलत प्रतिक्रिया, स्थिति को और बिगाड रही है।

**8.** यह शहरी मध्यम वर्ग सिस्टम, संस्थानों और कानून के नियमों का सम्मान करने के लिए बड़ा हुआ है। राजनैतिक स्थापना इन्हें नष्ट करना चाहती है और इसलिए जनता और

उनके द्वारा चुनी गई सरकार के बीच पूर्ण असंगति थी। आज की दुनिया में सक्षम शासन की आवश्यकता पहले कभी इतने जोरदार तरीके से महसूस नहीं की गई थी। जबकि विकसित देशों को आर्थिक मंदी के परिणामों से निपटना पडता हैं, विकासशील देशों को आर्थिक मंदी से बचने के लिए संघर्ष करना पडता है। रोजगार के अवसर बनाने पडते हैं और जनता की मांग के आकाक्षा को पूरा करना होता है। केवल दक्ष और प्रभावी शासन ही इन चुनौतियों को पूरा कर सकता है। यह स्पष्ट है कि शासन में दक्षता और प्रभावकारिता ईमानदारी पारदर्शिता, जवाबदेहिता के बिना लम्बे समय तक नहीं चलती हैं।

**9.** सुशासन केवल सरकार की जिम्मेदारी नही है। यह निगम क्षेत्र की आवश्यकता भी है। यह सिविल सोसाइटियों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक ग्रुपों में भी पहुंच गया है। तथापि, चूंकि सरकार जनता से पैसा एकत्र करती है और जनता की ओर से खर्च करती है ऐसा व्यय सरकार पर अधिक जवाबदेहिता का तत्व डालती है। ऐसी जवाबदेहिता में आवश्यक है कि लोक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य और निर्णय पारदर्शी हो और लोक संवीक्षा का सामना करने के लिए सक्षम हों। सरकारी निर्णयों और कार्यों में ऐसी जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है कि सरकारी पहल अपने नियत उद्देश्य को पूरा करती है और निस्संदेह उन लोगों की जरूरतों के लिए प्रतिक्रियात्मक हैं जो लाभ वह ढूंढ रहे हैं। इतिहास ऐसी जवाबदेहिता के बारे में बताती है, कि वास्तव में एक आधार होने के कारण लोकतंत्र और सुशासन की सभी परिभाषाएं प्राचीन काल से चल रही हैं।

**10.** यदि हम 1990 से अर्थव्यवस्था के प्रारंभ होने से पिछले दो दशकों में हमारे अनुभव को देखें, शासन में अधिक ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता की आवश्यकता का महत्व जुडा

है। जबकि लगभग हमने उदारीकरण से अर्थव्यवस्था में लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छा निष्पादन किया है और हम वैश्विक मंदी का सामना कर सके, हम उदारीकरण के सुधारों की सही क्षमता प्राप्त करने में विफल रहे।

**11.** सुशासन का पारम्परिक ज्ञान लोकतांत्रिक ढगं से निर्वाचित सरकारों द्वारा ईमानदारी और जवाबदेही के साथ सार्वजनिक मामलों का संचालन करने के बुनियादी सिद्धान्त पर आधारित है। तथापि, सरकार की हाल की कारिवाई जो सार्वजनिक क्षेत्र में आई है दर्शाती है कि नैतिकता और अखंडता के तत्व कम प्रतीत होते हैं। इससे शहरी नागरिकों के विशाल बहुमत के बीच भावना जागृत हुई कि समय आ गया है जब पारम्परिक वास्तुकला जिसके साथ सरकारों से कार्य करना प्रत्याशित है, इस प्रकार संतुलित होने की आवश्यकता है कि सूचित जनता द्वारा भागीदारिता का तत्व है। संसदीय लोकतंत्र में निर्वाचित राजनैतिक कार्यकारी की प्रधानता से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक नौकरशाही राजनैतिक कार्यकारी द्वारा स्थापित नीतिगत मानदण्डों को सलाह और सरल बनाने के लिए हे, जिसे सामान्मतया मंत्री परिषद समझा जाता है। तथापि, जब तक राजनैतिक कार्यकारी सिविल और समान नौकरशाही से श्रेष्ठ है, वह अपनी राजनिष्ठा मुख्य पणधारक के प्रति मानते है, जिसकी तरफ से वह कार्य करते है। अतः आपके समक्ष मेरा सुझाव है कि सरकारी नीति की सार्वजनिक निगरानी अनिवार्य है। इसके अलावा जैसा कि 73,74 संशोधनों के माध्यम से अनुवर्ती संरकारों द्वारा प्रदर्शित किया गया है सूचना का अधिकार और ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से भागीदारी शासन आ चुका है। यदि आर्थिक विकास के लाभ संम्मिलित और सतत बनाए जाने है, तो जनता द्वारा

सहभागिता और निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए ताकि निर्णय लेने में पारदर्शिता और कार्यों की जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाएगी।

**12.** यह इस संदर्भ में है कि संविधान निर्माताओं ने सीएजी और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग का अधिदेश बनाया था। हमारी भूमिका केवल सरकार के व्यय की लेखापरीक्षा करना नही है। हमारा अधिदेश के बल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना और उन्हें संसद में प्रस्तुत करना नहीं है। हमारा अधिदेश सरकार को विधानमडंल के समक्ष वित्तीय जवाबदेहिता के लिए उत्तरदायी ठहराना है। इसलिए हम बढावा देने वाले संचालक की भूमिका ग्रहण नही कर सकते। हमारी व्यवसायिक विशेषता नीति के गठन में उप इष्टतम नीति के कार्यान्वयन में कमी बताना और कमियों पर काबू पाने के लिए रचनात्मक सुझाव प्रदान करना है। चूंकि आने वाले समय में, शासन सहभागिता वाला बनना पडेगा और प्रशासन और नीति के गठन में समझदार युवा नागरिको की आवाज कि तालाश करेंगे, यह लेखापरीक्षा का कत्तव्य हो जाता है कि वह लेखापरीक्षा के दौरान अपने निष्कर्षों पर सार्वजनिक मत को संवदेनशील बनाए। इस प्रकार, हम सामाजिक लेखापरीक्षा में लग गए जहां हम एनजीओज, नागरिक ग्रुपों और स्थानीय सूचित जनता के प्रतिनिधित्वों से आखिरी सूचना प्राप्त करते हैं। यद्यपि, यह हमें योजना के कार्यान्वयन में बेहतर परिहश्य देगा, यह उनकी विधानसभा में स्थानीय नागरिकों को विश्वसनीय आवाज देगा। हमने छोटे इश्तहारों जिन्हें अन्यथा 'नोडी बुक्स' के रूप में जाना जाता है के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में योजनाओं के कार्यान्वयन में अपने मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए भी कदम उठाएं हैं। इसेसे मीडिया नागरिक समूह और कालेज के

विधार्थियों को शिक्षित हमारे निष्कर्षों और शासन के उन्नयन में हमारे प्रयासों के बारे में करने में मदद मिलेगी।

**13.** दुराचार की बडी संख्या पर लोक अधिकारियों द्वारा सबसे अधिक बार दोहराया गया बयान जो कि रिपोर्ट किया गया है, कि कानून अपना समय लेने कि अनुमति है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह वास्तव में क्या होना नही चाहिए और एक सीमीत समय सीमा में, कानून को अपना समय लेने में किसी भी प्रकार का अवरोध होता है। इतिहास केवल सफल और लोकप्रिय प्रबुद्ध राजाओं और जीवन्त लोकतंत्रो केबारे में बताता है क्योंकि विधि शासन प्रबल था। यह एक मूल आवश्यकता है यदि हमें लोगों की सरकार को लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाना है।

**<u>भावी पद्धति</u>**

**14.** जवाबदेहिता उन शक्तिधारकों का उनके व्यवहार एवं कार्यों के लिए उत्तरदायित्व लेने हेतु कर्तव्य है। यह और अधिक महत्वपूर्ण मामला बन जाता है जब सार्वजनिक निधियों का प्रबंधन शामिल हो। सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए अवसंरचना का निर्माण करने सेवा उपलब्ध कराने और विभिन्न योजनाओं को चलाने में काफी धन खर्च करती है। सरकार के धन की काफी मात्रा कर से आती है जिसे इसके नागरिकों से अनिवार्य रूप से एकत्र किया जाता है। इसलिए, सरकार इसके नागरिकों के हितों में कार्य करने के लिए और जवाबदेह शासन देने हेतु बाध्य है। यह इसकी नीतियों, निर्णयों और निष्पादन हेतु जनता को जवाबदेह है। सरकार में कार्य उचित, निष्पक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी होने चाहिए।

**15.** मैं आपके सामने प्रस्ताव देता हूं कि सुशासन केवल तभी आ सकता है जब यह ईमानदारी और पारदर्शिता पर आधारित हो। हमे नैतिकता और नीतियों की संस्कृति को पुनः प्रारंभ करना होगा। जवाबदेहिता तभी आ सकती है जब सभी निर्णय बनाने वाले और सरकार की ओर से कार्य करने वालों को जागरूक किया जाए कि वह कॉच के घरों में बैठे हैं और उनके सभी कार्यकलाप निरीक्षण के लिए खुले हैं। हमारे पास उल्लेखनीय उदाहरण हैं जहां सरकार और निगम क्षेत्र दोनों में, ईमानदारी की कमी का यद्यपि पता चलता है प्रशासन और लम्बी मुकदमेबाजी की विफलता के कारण को तर्कपूर्ण निष्कर्ष पर नही लगाया जा सकता। भ्रष्ट अधिकारियों और दुराचार के प्रमाणित कार्य के कई मामले है जिसे प्रक्रियात्मक विलम्बों के कारण तर्क संगत निष्कर्ष नहीं निकाले गए। आदतन दोषियों जिन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया था के कई मामले जिनकी लम्बी मुकदमेबाजी हो रही हो ऐसे दोषियों को डरा नही सकते/एक उल्लेखनीय मामला सत्यम स्केंड का परिणाम है जो प्रकाश में आया है। कम्पनी को अध्यक्ष द्वारा यह स्वीकार करने के बावजूद कि कम्पनी के खातों में हेर-फेर है मामला जनवरी 2013 तक विभिन्न न्यायालयों में लम्बित रहा है, उच्च न्यायालय ने चार हफ्तों के लिए नामित सीबीआई न्यायालय के समक्ष मुकदमें पर रोक लगा दी थी। मुख्य अभियुक्त लगातार बेल पर रहा क्योंकि सीबीआई अध्यक्ष की गिरफ्तारी के 33 महीनों के बाद भी चार्जशीट फाइल करने में विफल रही। इस मामले के विरूद्ध अलग तुरन्त मुकदमें और पोंजी योजना के ओपरेटर के निर्णय जिसे अमरीका के इतिहास में सबसे बडी धोखाधड़ी माना जाता है जहां मेडोफ, योजना के पीछे का दिमाग जो दिसम्बर 2008 में गिरफ्तार हुआ था और 11 फेडरल फेलोनीज में दोषी पाया गया था। जून 2009 में उसे 150 वर्षों तक की जेल की सजा हुई थी। वस्तुतः ऐसी तुरन्त कार्रवाई भविष्य में ऐसी किसी दुर्घटना से रोकेगी।

**16.** हमें इस बात को मानना चाहिए कि देश ऐसे मोड पर है। यदि नागरिकों और शहरी मध्यम वर्ग के बढे हुए शेष को सकारात्मक रूप से ढाला जाए तो यह सरकार और जनता के बीच अथाह सहक्रिया में बदल जाएगा। इस मोड का दूसरा हिस्सा, जो देश वहन नहीं कर सकता है कि एक असंवेदनशील और विपरीत सरकार जो जनता के मत को नही सुनती। यह हमारे जैसे लोगों का उत्तरदायित्व है कि वह जनता के मत के प्रतिनिधि बनें और इस प्रकार नीति के गठन में सहायता करें कि जनता की आवश्यकताओं को उसमें समाविष्ट किया जाए। हमें इस बात को मान्यता देने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र लोगों को सशक्त करने के लिए है और न कि उन्हें प्रभावहीन करने के लिए/अतः लोगों को विश्वासघात महसूस नहीं करना चाहिए। सशक्तिकरण तभी माना जाएगा जब कानून को प्रबल करने की अनुमति दी जाएगी। संविधान के संस्थापकों ने विधि कानून की सुरक्षा के लिए संस्थानों का निर्माण किया था। इन संस्थानों को अपनी भूमि का निभाने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

**17.** नैतिकता और नीति के एक नए कोड को न केवल अपनी जगह पर लाना होगा किन्तु नागरिक ग्रुपों द्वारा देखा जाना चाहिए। यह नया नहीं है। हमारे पास राजस्थान में जन सुनवाई कार्यक्रम है जिसे श्रीमती अरूणा राय ने बनाया है। लोक पदाधिकारियों में नैतिक व्यवहार अंतर्निहित करना होगा। राज के प्रतिनिधियों में भावना 'सरकारी सेवक' की होनी चाहिए और अधिकारी की नहीं।

**18.** आरटीआई विसल ब्लोआर (सचेतक) और लोकायुक्तों को स्थायी रूप से बनाया जाना चाहिए। जवाबदेहिता का मूल गुण प्रत्येक सरकारी पदाधिकारी में समाविष्ट होना चाहिए। अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 311 और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए पॉच वर्ष की

अवधि प्रतिरक्षा के लिए नहीं है किन्तु केवल उन्हें अनिश्चितता और असुरक्षा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। राजनीतिक कार्यकारी, नौकरशाही और निम्न-न्यायपालिका को यह नही मानना चाहिए कि वह जवाबदेहिता से परे है।

**19.** संसदीय लोकतंत्र में निर्वाचित कार्यकारी सर्वोच्च हैं। अधिकारी सलाह देने के लिए और फिर विधायिका/मंत्रिपरिष्द द्वारा बनाई गई नीति को कार्यान्वित करने के लिए हैं। नौकरशाहो को बडा सोचना चाहिए, निर्मीक और संविधान के प्रति ईमानदार होना चाहिए और किसी व्यक्ति के प्रति नहीं। वह व्यवसायी होने चाहिए; एक ढांचे में स्टील फाइबर जो ढांचे को एक साथ बुनता है। उन्हें देश को ध्यान में रखना है और अपनी कुर्सी से चिपके नहीं रहना हैं। भारतीय नौकरशाही में सभी तीन शक्तियां है कभी कभी यह स्थूल हो जाती हैं और गलत जगहों पर पहुंच जाती है।

**20.** निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की इच्छा के एजेंट हैं। उनहें सुधार की सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। वह स्व-सुधार के उपाय कर सकते हैं। कोई भी चुनाव आयोग या अन्य एजेंसी चुनाव में बाहुबल या धनबल को सीमित नहीं कर सकता है। केवल इस कार्य से जुडे लोग कर सकते हैं। यह समय की मांग है और चूँकि हमारे पास कानून द्वारा पकडे गये कई उदाहरण हैं यद्यपि फिर भी यह होता है। दीवार पर लेखन स्पष्ट है। यदि हमें भारतीय प्रजातंत्र को वास्तव में लोगों द्वारा और लोगों के लिये बनाना है, आर्थिक विकास को विस्तृत करना होगा, वास्तव में भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरते हुये देखने के लिये, चयनित प्रतिनिधि को नेतृत्व करना होगा।

**21.** अंत में, मैं यह कहना चाहूँगा कि भारतवासियों के लिये आर्थिक समृद्धि एक विकल्प नहीं है- यह एक आवश्यकता है। आर्थिक सशक्तिकरण और इस तरह महाशक्ति के रूप में उभरना संभव होगा यदि विकास सुशासन से किया गया है। ऐसा विकास तभी स्थाई है यदि यह शासन की नैतिक-संहिता के आधार पर हो। जब भारत की कहानी लिखी जाती है, यह लिखा जाना चाहिये कि शासन समाधान है और समस्या नहीं जिसमें राज्य सहायक है और हिंसक नहीं। हमारी शासन संरचना में यह अध्यादेश अनिवार्य अंश के रूप में होना चाहिये क्योंकि काफी कुछ दांव पर है और बहुत सारे लोगों के लिये।